


# चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड



## सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

(वित्त वर्ष 2021-22)

**चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड**  
**सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट**  
**(वित्तीय वर्ष 2021-22)**

**1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा :**

सीवीपीपीपीएल अपने हितधारकों की चिंताओं के समाधान एवं अपने सभी व्यावसायिक क्रियाकलापों में सीएसआर और संधारणीयता के श्रेष्ठ मानकों को बढ़ावा देने और उन्हें अनुरक्षित रखने हेतु प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए सीवीपीपीपीएल विधि के शासन, स्थानीय समुदायों और व्यापक रूप से समाज का सम्मान करती है और अपने सीएसआर और संधारणीयता क्रियाकलापों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरणीय स्थिरता में वृद्धि करने के लिए जागरूक प्रयास करती है।

सीवीपीपीपीएल की सीएसआर और संधारणीयता नीति, सीवीपीपीपीएल के व्यवसाय को सामाजिक रूप से उत्तरदायी रीति से संचालित करने का आधार बनाती है, जिसका लक्ष्य क्रियाकलापों के समस्त क्षेत्रों में कार्यनिष्पादन की रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण में पारदर्शिता के अपेक्षित मानकों के अनुरूप उच्च स्तर की संगठनात्मक निष्ठा और नैतिक व्यवहार को अनुरक्षित करते हुए तथा कंपनी के संचालन और उसकी गतिविधियों से प्रत्यक्षतः प्रभावित प्रमुख हितधारकों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चिंताओं को समझना और उनका समाधान करते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता के साथ जलविद्युत विकास और कंपनी के दीर्घकालिक विकास के उद्देश्यों को एकीकृत करना है।

सीवीपीपीपीएल के बोर्ड ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत निहित उपबंधों के अनुसरण में, सीवीपीपीपीएल की सीएसआर और संधारणीयता नीति को अनुमोदित किया है।

यह नीति, कंपनी अधिनियम 2013, अधिनियम की अनुसूची VII, सीएसआर नियमों और उसके संशोधनों के अनुसरण में विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत सीएसआर क्रियाकलापों के कार्यान्वयन से संबंधित उपबंधों का प्रावधान करती है।

सीवीपीपीपीएल की सीएसआर और संधारणीयता नीति को सीवीपीपीपीएल की वेबसाइट लिंक <https://www.cvppindia.com/CSR.aspx?Policies> पर सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।

**नीति की मुख्य विशेषताएं :**

किसी वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर और संधारणीयता कार्यों के लिए बजट प्रावधान सीवीपीपीपीएल द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित किए गए औसत निवल (शुद्ध) लाभ का 2% होगा। कंपनी के औसत निवल लाभ का परिकलन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के यथा-संशोधित उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

जलविद्युत विकासकर्ता होने के नाते, सीवीपीपीपीएल द्वारा मुख्य रूप से अपनी परियोजनाओं/विद्युत स्टेशनों या कॉर्पोरेट कार्यालय के निकट सीएसआर और संधारणीयता क्रियाकलापों का कार्यान्वयन किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सीएसआर और संधारणीयता क्रियाकलापों का कम-से-कम 80% निष्पादन सीवीपीपीपीएल की परियोजनाओं, पावर स्टेशनों और कार्यालयों के आसपास 25 किलोमीटर के भीतर और उस जिले में किया जाता है जहां परियोजना स्थित है। तथापि, 25 किलोमीटर से अधिक दूरी के अन्य स्थानों को भी आवश्यकता के आधार पर और राष्ट्रीय

योजनाओं/अभियानों पर भारत सरकार के निर्देश के अनुसार चुना जा सकता है, जिसमें समाज/पर्यावरण के व्यापक हित के लिए सीएसआर बजट की 20% राशि खर्च की जा सकती है। सीवीपीपीपीएल द्वारा सीएसआर क्रियाकलाप कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के अनुसार संचालित किए जाएंगे। किसी अन्य क्रियाकलाप/मद पर किए गए ऐसे व्यय को, जो समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम 2013की अनुसूची-VII के अनुरूप नहीं है, सीएसआर व्यय में शामिल नहीं किया जाएगा।

**सीवीपीपीपीएल द्वारा सीएसआर निधि आवंटन और व्यय (वर्ष-वार):**

वर्ष	लाभ के प्रतिशत के रूप में आवंटन का आधार	अनिवार्य निधि आवंटन (रुपये)	वास्तविक व्यय (रुपये)
2017-18	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	6,94,928.00	6,98,460.00
2018-19	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	12,39,193.00	12,39,820.00
2019-20	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	22,54,878.00	13,11,553.00 *
2020-21	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	29,43,495.00	42,47,040.00 **
2021-22	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	26,49,830.00 ***	3,11,627.00
<b>कुल</b>		<b>97,82,324.00</b>	<b>78,08,500.00</b>

\*व्यय न की गई 9,43,325.00 रुपये की राशि को वित्त वर्ष 2020-21 में अग्रेनीत किया गया।

\*\*इसमें 9,43,325.00 रुपये की अग्रेनीत अव्ययित राशि का व्यय और 3,60,220.00 रुपये का अतिरिक्त व्यय शामिल है।

\*\*\*बोर्ड द्वारा, 1,20,070.00 रुपये की अतिरिक्त व्यय की गई राशि को वित्त वर्ष 2021-22 की सीएसआर दायित्व राशि में से घटाने का अनुमोदन किया गया। पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 2% (अर्थात 26,49,830.00 रुपये) में से 1,20,073.00 रुपये घटाने के उपरांत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए शुद्ध सीएसआर दायित्व राशि 25,29,757.00 रुपये थी।

**सीवीपीपीपीएल द्वारा क्षेत्रवार सीएसआर व्यय (वर्ष-वार) :**

वर्ष	व्यय (रुपये में)					
	शिक्षा क्षेत्र	स्वास्थ्य देखरेख क्षेत्र	महिला सशक्तिकरण	सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करना	आपदा प्रबंधन	कुल
2017-18	6,68,560.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	6,98,460 .00
2018-19	7,85,234.00	4,54,586.00	0.00	0.00	0.00	12,39,820 .00
2019-20	7,72,517.00	39,000.00	1,24,125.00	1,76,229.00	1,99,682.00	13,11,553.00
2020-21	14,66,668.00	25,81,132.00	0.00	0.00	1,99,240.00	42,47,040.00
2021-22	0.00	3,11,627.00	0.00	0.00	0.00	3,11,627.00
<b>कुल</b>	<b>36,92,979 .00</b>	<b>34,16,245.00</b>	<b>1,24,125 .00</b>	<b>1,76,229 .00</b>	<b>3,98,922 .00</b>	<b>78,08,500.00</b>

## वित्त वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित सीएसआर क्रियाकलाप:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक सीएसआर कार्य योजना, सीवीपीपीपीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई थी जिस में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र (स्वच्छता और सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना) के अंतर्गत एक सीएसआर क्रियाकलाप अर्थात् "21 स्कूलों में जल भंडारण सुविधा एवं जलशोधन सुविधा प्रदान करना तथा शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण" को पकल दुल जलविद्युत परियोजना (11 स्कूलों में) और किरु जलविद्युत परियोजना (10 स्कूलों में) द्वारा 25,54,121.00 रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ क्रियान्वयन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

इस क्रियाकलाप को, प्रारंभ में, वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वयन के लिए एक-वर्षीय क्रियाकलाप के रूप में अनुमोदित किया गया था और इसमें 21 स्कूलों में 24 जल भंडारण टैंक (स्थापना के साथ), 46 जलशोधक और 48 शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण का कार्य शामिल था। तथापि, यह क्रियाकलाप पूर्ण नहीं किया जा सका और इसे वित्तीय वर्ष में आंशिक रूप से क्रियान्वित किया गया जिसमें जल भंडारण टैंक और जलशोधक खरीदे गए और संबंधित स्कूलों को प्रदान किए गए, जबकि स्कूलों में पानी की टंकियों की स्थापना और शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण का कार्य निविदा प्रक्रिया के अधीन है। तत्पश्चात, बोर्ड ने कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की और क्रियाकलाप के कार्यान्वयन के लिए समय अवधि में विस्तार को मंजूरी दी और निधियों के वर्ष-वार आवंटन के साथ क्रियाकलाप को जारी-क्रियाकलाप के रूप में अनुमोदित किया। आवंटित बजट में से, वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3,11,627.00 रुपये का व्यय किया गया तथा शेष अव्ययित 22,42,494.00 रुपये की राशि को वित्तीय वर्ष के अंत से तीस दिन की निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर "सीवीपीपीपीएल अव्ययित सीएसआर खाता वित्त वर्ष 2021-22" में अंतरित किया गया। अव्ययित राशि का व्यय लागू सीएसआर मानदंडों और सीवीपीपीपीएल की सीएसआर नीति के अनुसरण में, निर्धारित समय अवधि के भीतर किया जाएगा।

सीवीपीपीपीएल की सीएसआर नीति के अनुसरण में परियोजना स्तर पर गठित विभागीय निगरानी समितियों और नोडल अधिकारी (सीएसआर) द्वारा अनुमोदित क्रियाकलाप के कार्यान्वयन की विधिवत निगरानी की गई थी। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित धन का उपयोग केवल बोर्ड द्वारा अनुमोदित उद्देश्य एवं रीति के अनुसार ही किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में सीएसआर क्रियाकलाप के कार्यान्वयन के चित्र **परिशिष्ट-1** में दिए गए हैं और अनुमोदित मर्दों/कार्यों की स्कूल-वार सूची **परिशिष्ट-2** में दी गई है।

### 2. सीएसआर समिति की संरचना:

कंपनी अधिनियम की धारा 135(9) के अनुसरण में, सीएसआर समिति के गठन की आवश्यकता सीवीपीपीपीएल पर लागू नहीं होती है और इसलिए सीएसआर समिति के उत्तरदायित्वों का निर्वहन सीवीपीपीपीएल के बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।

तथापि, पूर्व में गठित सीएसआर समिति की एक बैठक वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिनांक 05.08.2021 को निम्नलिखित विवरण के अनुसार आयोजित की गई थी:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद का स्वरूप	वर्ष के दौरान सम्पन्न सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की उन बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया गया
1.	श्री रोहित कंसल, आईएस	अध्यक्ष (नामित निदेशक)	01	01
2.	श्री आर पी गोयल	सदस्य (नामित निदेशक)		01
3.	श्री ए के चौधरी	सदस्य (प्रबंध निदेशक)		01

3. वेब-लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई हैं :

सीवीपीपीपीएल की सीएसआर नीति, बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर क्रियाकलापों और सीएसआर समिति के संबंध में अपेक्षित जानकारी सीवीपीपीपीएल की वेबसाइट लिंक <https://www.cvppindia.com/CSR.aspx?Policies> पर सार्वजनिक डोमेन में रखी गई है।

4. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में निष्पादित सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का ब्योरा प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें):

लागू नहीं।

5. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में समायोजन (सेट-ऑफ) के लिए उपलब्ध राशि और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन हेतु अपेक्षित राशि, यदि कोई है, का विवरण:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई है (रुपये में)
1.	2018-19	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	2019-20	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	2020-21	3,60,220.00	1,20,073.00
<b>कुल</b>		<b>3,60,220.00</b>	<b>1,20,073.00</b>

6. धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल (शुद्ध) लाभ:

वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए सीवीपीपीपीएल का औसत निवल लाभ **13,24,91,484.00 रुपये** था जिसका विवरण निम्नवत है :

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	निवल लाभ (रुपये)	औसत निवल लाभ (रुपये)
1.	2018-19	19,01,77,853.00	13,24,91,484.00
2.	2019-20	19,47,73,715.00	
3.	2020-21	1,25,22,883.00	

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत:

26,49,830.00 रुपये

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या क्रियाकलापों से उत्पन्न अधिशेष :

शून्य रूपए

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन (सेट-ऑफ) हेतु अभीष्ट राशि, यदि कोई हो:

1,20,073.00 रुपये

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख-7ग):

25,29,757.00 रुपये

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित अथवा अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (रुपये में)	अव्ययित राशि (रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत यथा-विनिर्दिष्ट किसी निधि को अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
3,11,627.00	22,42,494.00	26.04.2022	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं पर व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्योरा:

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वयन के लिए एकल-वर्षीय गतिविधि के रूप में सीवीपीपीपीएल के बोर्ड द्वारा वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत, प्रारंभ में, एक सीएसआर क्रियाकलाप को अनुमोदन प्रदान किया गया था। तथापि, क्रियाकलाप को वित्तीय वर्ष में आंशिक रूप से ही लागू किया जा सका, जिसके कारण बोर्ड द्वारा उस क्रियाकलाप के कार्यान्वयन की समय अवधि को 31.03.2023 तक बढ़ा दिया गया था और क्रियाकलाप को जारी-क्रियाकलाप के रूप में अनुमोदित किया गया था।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में क्रियाकलापों की सूची में से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	राज्य	ज़िला	परियोजना का स्थान	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन की रीति-सीधे (हां/नहीं)	नाम	कार्यान्वयन की रीति-कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
											सीएसआर पंजीकरण संख्या		
1.	21 विद्यालयों में जल भंडारण सुविधा एवं जल शोधन सुविधा उपलब्ध कराना तथा शौचालयों की मरम्मत/ नवीकरण कराना।	मद सं. i. स्वास्थ्य सेवा का संवर्धन (स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना)	हाँ	जम्मू और कश्मीर	किश्तवाड़	जम्मू और कश्मीर	24 माह	25,54,121.00	3,11,627.00	22,42,494.00	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के अलावा अन्य पर व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्योरा:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में क्रियाकलापों की सूची में से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान राज्य   ज़िला	परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन की रीति-प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन की रीति-कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से नाम   सीएसआर पंजीकरण संख्या
वित्तीय वर्ष 2021-22 में जारी क्रियाकलाप के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं किया गया।							

(घ) प्रशासनिक ओवरहेड्स पर व्यय की गई राशि : शून्य

(ङ) प्रभाव मूल्यांकन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो : लागू नहीं

(च) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ) : 3,11,627.00 रुपये

(छ) समायोजन (सेट-ऑफ) के लिए अतिरिक्त (अधिक व्ययित) राशि, यदि कोई हो:

क्र.सं.	विशिष्टी	राशि (रुपये में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	25,29,757.00 *
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	3,11,627.00
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	शून्य
(iv)	पूर्व वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या क्रियाकलापों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो।	शून्य
(v)	आगे के वित्तीय वर्षों में समायोजन (सेट-ऑफ) के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

\*पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ (26,49,830.00 रुपये) में से 1,20,073.00 रुपये के समायोजन (सेट-ऑफ) के पश्चात धारा 135(5)के अनुसार कंपनी की सांविधिक सीएसआर बाध्यता।

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का ब्योरा:

क्र.सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)	धारा 135 (6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो,।			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपये में)
				निधि का नाम	राशि (रुपये में)	अंतरण की तिथि	
वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपयोग के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों की कोई अव्ययित राशि उपलब्ध नहीं थी।							

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की जारी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्योरा:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्ययित राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में व्ययित राशि (रुपये में)	वित्तीय संचयी पूर्ण / जारी	परियोजना की स्थिति - पूर्ण / जारी
लागू नहीं। पिछले वित्तीय वर्षों की कोई भी जारी परियोजनाएँ नहीं थीं।									

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजनया अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआरव्यय के माध्यम से सृजित या अधिगृहीत परिसंपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (परिसंपत्ति-वार विवरण):  
वित्तीय वर्ष में सीएसआरव्यय के माध्यम से किसी पूंजीगत परिसंपत्ति का सृजन या अधिग्रहण नहीं किया गया।
- क. पूंजीगत परिसंपत्ति(यों) के सृजन या अधिग्रहण की तिथि:  
लागू नहीं।
- ख. पूंजीगत परिसंपत्ति(यों) के सृजन या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि:  
लागू नहीं।
- ग. उस कंपनी या निकाय या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि:  
लागू नहीं।
- घ. सृजित या अधिगृहीत पूंजीगत परिसंपत्ति(यों) का विवरण प्रदान करें (ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति के पूरे पते और अवस्थिति सहित) :  
लागू नहीं।
11. कारण निर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में असफल रही है:  
सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत अनुमोदित क्रियाकलाप अर्थात "21 विद्यालयों में जल भंडारण सुविधा एवं जल शोधन सुविधा उपलब्ध कराना तथा शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण कराना" में दो घटक शामिल थे, जिनमें से केवल पहले घटक अर्थात जल भंडारण टैंकों और जलशोधकों की खरीद का कार्य ही वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्ण हो पाया तथा उपार्जित सामग्री तत्काल उपयोग हेतु संबन्धित विद्यालयों को सौंपदी गई। तथापि, विद्यालयों में शौचालयों की मरम्मत / नवीकरण और पानी की टंकियों की स्थापना के लिए सिविल कार्यों से जुड़ा दूसरा घटक निविदा प्रक्रिया में है और इसे वित्तीय वर्ष में पूरा नहीं किया जा सका। सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना को बोर्ड द्वारा संशोधित किया गया और क्रियाकलाप के कार्यान्वयन की समायावधि के विस्तार के साथ 'जारी-क्रियाकलाप' के रूप में अनुमोदित किया गया है।

हस्ता/-  
सुरेश कुमार, आईएस (सेवानिवृत्त)  
अध्यक्ष सीवीपीपीपीएल

हस्ता/-  
हसन नदीम  
प्रबंध निदेशक सीवीपीपीपीएल



वित्तीय वर्ष 2021-22 में जारी सीएसआर क्रियाकलाप के कार्यान्वयन के चित्र



राजकीय माध्यमिक विद्यालय पिंजराड़ी ,ग्राम सौन्दर



राजकीय माध्यमिक विद्यालय टपलपुरा, ग्राम दूल



राजकीय अपर प्राथमिकविद्यालय क्राइपखनू, ग्राम लोपारा



राजकीय प्राथमिक विद्यालय नगूल, ग्राम दूल



राजकीय प्राथमिक विद्यालय दासा, ग्राम दूल



राजकीय माध्यमिक विद्यालय बटपुरा, ग्राम दूल



राजकीय माध्यमिक विद्यालय मलिकपुरा, ग्राम दूल



राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दूल, ग्राम दूल



राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय करूर, ग्राम सौन्दर



राजकीय माध्यमिक विद्यालय इखाला, ग्राम सौन्दर



राजकीय माध्यमिक विद्यालय किरू, ग्राम गलहार



राजकीय प्राथमिक विद्यालय चांपली, ग्राम गलहार


परिशिष्ट-2

वित्तीय वर्ष 2021-22 केजारी सीएसआर क्रियाकलाप के अंतर्गत अनुमोदित वस्तुओं और कार्यों की  
विद्यालय-वार सूची

जारी सीएसआर क्रियाकलाप	21 विद्यालयों में जल भंडारण सुविधा एवं जल शोधन सुविधा उपलब्ध कराना तथा शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण।
क्षेत्र	स्वास्थ्य सेवा (स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना)।

सीएसआर क्रियाकलाप के लिए चिन्हित विद्यालय का नाम	मद/कार्य का नाम	मात्रा
<b>क. पकल दूध जलविद्युत परियोजना द्वारा सुदृढीकरण हेतु चिन्हित विद्यालय (11 विद्यालय)</b>		
1. राजकीय पूर्व-माध्यमिक (मिडिल) विद्यालय पिंजराड़ी, ग्राम सौन्दर (दच्छन), ज़ोन मारवाह, ज़िला किशतवाड़	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)	01
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	02
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	02
2. राजकीय प्राथमिक (प्राइमरी) विद्यालय ट्रेथल, ग्राम सौन्दर(दच्छन), ज़ोन मारवाह, ज़िला किशतवाड़	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)	01
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	02
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	02
3. राजकीय पूर्व-माध्यमिक (मिडिल) विद्यालय टपलपुरा, ग्राम दूल, ज़ोन नागसेनी, ज़िला किशतवाड़	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)	01
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	02
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	04
4. राजकीय उच्च प्राथमिक (अपर प्राइमरी) विद्यालय क्राइपखनू, ग्राम लोपारा (दच्छन), ज़ोन मारवाह, ज़िला किशतवाड़	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)।	01
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	02
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	02
5. राजकीय प्राथमिक (प्राइमरी) विद्यालय नागूल, ग्राम दूल, ज़ोन नागसेनी, ज़िला किशतवाड़	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)।	01
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	02
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	03
6. राजकीय पूर्व-माध्यमिक (मिडिल) विद्यालय इखाला, ग्राम सौन्दर(दच्छन), ज़ोन मारवाह, ज़िला किशतवाड़	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)।	01
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	02
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	02
7. राजकीय प्राथमिक (प्राइमरी) विद्यालय दासा, ग्राम दूल, ज़ोन नागसेनी, ज़िला किशतवाड़	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)।	01
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	02
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	02
8. राजकीय पूर्व-माध्यमिक (मिडिल) विद्यालय बटपुरा, ग्राम दूल, ज़ोन नागसेनी, ज़िला किशतवाड़	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)	01
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	02
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	05
9. राजकीय बालिका पूर्व-माध्यमिक (मिडिल) विद्यालय करूर, ग्राम सौन्दर(दच्छन), ज़ोन मारवाह, ज़िला किशतवाड़	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)	01
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	02
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	01
10. राजकीय उच्चतर माध्यमिक (हायर सैकेंडरी) विद्यालय दूल, ग्राम दूल, ज़ोन नागसेनी, ज़िला किशतवाड़	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)	02
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	05
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	02
11. राजकीय पूर्व-माध्यमिक (मिडिल) विद्यालय मलिकपुरादूल, ग्राम दूल, ज़ोन नागसेनी, ज़िला किशतवाड़	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)	01
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	02
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	03
<b>ख. किरू जलविद्युत परियोजना द्वारा सुदृढीकरण हेतु चिन्हित विद्यालय (10 विद्यालय)</b>		
12. राजकीय माध्यमिक विद्यालय (हाइ स्कूल)पत्थरनक्की, ग्राम गलहार, ज़ोन नागसेनी, ज़िला किशतवाड़।	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)	02
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	03
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	02
13. राजकीय पूर्व-माध्यमिक (मिडिल) विद्यालय किरू, ग्राम गलहार, ज़ोन नागसेनी, ज़िला किशतवाड़।	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)।	01
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	03
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	02
14. राजकीय पूर्व-माध्यमिक (मिडिल) विद्यालय चिंगनाना, ग्राम गलहार, ज़ोन नागसेनी, ज़िला	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)।	01
	2. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	02

किश्तवाड़।		
15. राजकीय पूर्व-माध्यमिक (मिडिल) विद्यालय बेलाछिच्छा, ग्राम छिच्छा, ज़ोन नागसेनी, ज़िला किश्तवाड़।	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)	01
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	02
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	02
16. राजकीय माध्यमिक विद्यालय (हाइ स्कूल) गलहार, ग्राम गलहार, ज़ोन नागसेनी, ज़िला किश्तवाड़।	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)	02
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	03
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	02
17. राजकीय प्राथमिक (प्राइमरी) विद्यालय गुज्जर बस्ती छिच्छा, ग्राम छिच्छा, ज़ोन नागसेनी, ज़िला किश्तवाड़।	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)	01
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	02
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	02
18. राजकीय पूर्व-माध्यमिक (मिडिल) विद्यालय कढ़ेणी, ग्राम नवनट्टू (पियास), ज़ोन नागसेनी, ज़िला किश्तवाड़।	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)।	01
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	02
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	02
19. राजकीय प्राथमिक (प्राइमरी) विद्यालय चांपलीगलहार, ग्राम गलहार, ज़ोन नागसेनी, ज़िला किश्तवाड़।	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)।	01
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	02
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	02
20. राजकीय पूर्व-माध्यमिक (मिडिल) विद्यालय पियास, ग्राम पियास, ज़ोन नागसेनी, ज़िला किश्तवाड़।	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)	01
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	02
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	02
21. राजकीय पूर्व-माध्यमिक (मिडिल) विद्यालय छिच्छा, ग्राम छिच्छा, ज़ोन नागसेनी, ज़िला किश्तवाड़।	1. स्थापना के साथ जल भंडारण टैंक (500 लीटर)	01
	2. जल शोधक (मैनुअल) 20 लीटर क्षमता	02
	3. शौचालयों की मरम्मत/नवीकरण (शौचालयों की संख्या)	02



**चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड**

चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू -180012, (जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित प्रदेश)